


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



- 1- रघुवंश प्रसाद, उम्र 57 वर्ष, पेशा कृषि
- 2- रामकुमार उम्र 55 वर्ष, पेशा नौकरी
- 3- बसन्त कुमार उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि
- 4- शिवकुमार उम्र 43 वर्ष, पेशा कृषि
- 5- राजाराम उम्र 42 वर्ष, पेशा कृषि
- 6- रामनिवास उम्र 64 वर्ष, पेशा कृषि पिता श्री रामसेवक
- 7- दुर्गा प्रसाद, उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि
- 8- अयोध्या प्रसाद, उम्र 53 वर्ष, पेशा कृषि
- 9- राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, पेशा कृषि

पांचों के पिता श्री परमेश्वरदीन ब्राम्हण

तीनों के पिता रामशिरोमणि

सभी जाति ब्रा0, निवासी ग्राम हीरूडीह, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

-----आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण बनाम

- 1- रामचन्द्र पिता श्री रामसेवक उम्र 68 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम हीरूडीह, तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

2- शासन म0प्र0

-----अनावेदकगण/गैरपुनरीक्षणकर्तागण
 पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय एवं आदेश श्रीमान् न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगंवा, प्रकरण क्र0-06ए27/10-11 आदेश दिनांक 15/05/12
 पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

1748-II/12

5-6-12

अधिकारी जी को
सहकारिता हाता 9-3-1
रीवा दिनांक 21-5-2012

21-5-12

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-

यह कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण एवं अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता एक ही वंशवृक्ष के दिवादित आराजियातों के सहखातेदार है, ग्राम हीरूडीह की स्थित आराजियातों के सहखतेदारों का खाता विभाजन

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/1748-II/2012

जिला-रीवा

रघुवंश प्रसाद/रामचन्द्र

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 06/ए-27/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	